"राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013"

(मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना)

- शासन निर्दे`शानुसारजिले में 01 मार्च 2014 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधान अनुसार मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनातर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की नवीन व्यवस्था का क्रियान्वयन किया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधान अनुसार पात्र परिवारों की दो श्रेणियां है :-
- (1) अन्त्योदय अन्न योजना परिवार –

  (अ) अन्त्योदय श्रेणी (सदस्य संख्या 06 तक)

  (ब) बीपीएल (अन्त्योदय) श्रेणी (सदस्य संख्या 06 से अधिक)
- (2) प्राथमिकता परिवार - (बीपीएल $ 24 अन्य श्रेणियां)

01- अन्त्योदय अन्न योजना परिवार:- अन्त्योदय अन्न योजना के परिवारो को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है।

अ. अंत्योदय श्रेणी (06 अथवा 06 से कम सदस्य)
ब. बीपीएल (अन्त्योदय) श्रेणी (06 से अधिक सदस्य) के रूप में विभाजित किया गया है।

अ. अन्त्योदय अन्न योजना के ऐसे परिवार जिनकी सदस्य संख्या 06 अथवा 06 से कम है अर्थात् ''अन्त्योदय श्रेणी'' को 35 किलोग्राम खाद्यान्न (30 कि.ग्रा. गेहूं $ 05 कि.ग्रा. चावल) प्रतिमाह प्रति परिवार के मान से वितरण करवाया जा रहा है।

ब. अन्त्योदय अन्न योजना के ऐसे परिवार जिनकी सदस्य संख्या 06 से अधिक है अर्थात जो ''बीपीएल (अन्त्योदय) श्रेणी'' के अंतर्गत चिन्हित है, उन्हे प्राथमिकता परिवार की श्रेणियो की तरह 05 कि.ग्रा खाद्यान्न (04 कि.ग्रा. गेहूं $ 01 कि.ग्रा. चावल) प्रतिमाह प्रति सदस्य के मान से वितरण करवाया जा रहा है।

उदाहरण स्वरूप:- 07 सदस्यीय परिवार हेतु (7x4 कि.ग्रा.=28 कि.ग्रा. गेहूं $ 7x1 कि.ग्रा.=07 कि.ग्रा. चावल)

02- प्राथमिकता परिवार:- प्राथमिकता परिवार के रूप में बीपीएल कार्डधारी एवं अन्य 24 श्रेणियों के चिन्हित श्रेणियांे के परिवारो को 05 कि.ग्रा खाद्यान्न (04 कि.ग्रा. गेहू $ 01 कि.ग्रा. चावल) प्रतिमाह प्रति सदस्य के मान से वितरण करवाया जा रहा है।

- बीपीएल सूची में सम्मिलित परिवार

अन्य 24 श्रेणियां:-

1 म.प्र. भवन तथा अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक ।
2 सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पंजीकृत हितग्राही ।
3 अनाथ आश्रम निराश्रित/विकलांग छात्रावासों में निवासरत बच्चें।
4 निःशुल्क वृद्वाश्रमों में निवासरत वृद्वजन ।
5 ग्रामीण क्षैत्रों में मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजनांतर्गत भूमिहीन, खेतिहर मजदूर।
6 ग्रामीण क्षेत्र में वनाधिकार पटटेधारी ।
7 शहरी एवं ग्रामीण क्षैत्रो में साइकिल रिक्शा चालक कल्याण योजना में पंजीकृत व्यक्ति।
8 शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में हाथ ठेला चालक कल्याण में पंजीकृत व्यक्ति।
9 शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत घरेलू कामकाजी महिलाएं।
10 शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत फेरीवाले (स्ट्रीट वेन्डर)।
11 रेलवे में पंजीकृत कुली।

14 मंडियों में अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटी।

13 बन्द पड़ी मिलो में पूर्व नियोजित श्रमिक (बन्द मिलो में से मात्र उन मिलों के पूर्व नियोजित श्रमिको को सम्मिलित किया जाना है, जिनमें श्रमिकों के भुगतान निराकरण न होने के कारण लंबित हैं।

14 बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम 1972 अंतर्गत परिचय पत्र धारी बीड़ी श्रमिक।

15 समस्त भूमिहीन कोटवार- (ऐसे सभी कोटवार जो भूमि स्वामी के रूप में धारण किए जाने वाली भूमि की गणना कर भूमिहीन की श्रेणी में आते हों) ।

16 कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग अंतर्गत पंजीकृत बुनकर एवं शिल्पी।

17 नगरीय निकायों एवं ग्रामीण क्षेत्र में पंजीकृत केशशिल्पी।

18 पंजीकृत बहु विकलांग एवं मन्दबुद्धि व्यक्ति।

19 एच0आई0व्ही0 (एड्स) संक्रमित व्यक्ति (जो स्वेच्छा से इस योजना का लाभ लेना चाहते हो) ।

20 मध्यप्रदेश में निवासरत समस्त अनुसूचित जाति के परिवार।

21 मध्यप्रदेश में निवासरत समस्त अनुसूचित जनजाति के परिवार।

22 प्रदेष में मत्स्य पालन करने वाले (मछुआ) सहकारी समितियों के अंतर्गत पंजीकृत परिवार/सदस्य।

23 ओला-पाला से प्रभावित परिवार। (01 मार्च 2015 से उक्त श्रेणी को विलोपित किया गया)

पंजीकृत व्यवसायिक वाहन चालक/परिचालक।

माह सितम्बर 2015 की स्थिति में लाभांवित हितग्राहियों की जानकारी

क्र.	योजना का नाम	पात्र परिवार							
		अन्त्योदय परिवार (Upto 06)		अन्त्योदय परिवार (06+)		प्राथमिकता परिवार		कुल	
		परिवार संख्या	सदस्य संख्या	परिवार संख्या	सदस्य संख्या	परिवार संख्या	सदस्य संख्या	परिवार संख्या	सदस्य संख्या
01	मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना	22189	84325	5063	42039	201847	965868	229099	1092232

अन्त्योदय एवं प्राथमिकता परिवार का वर्तमान वितरणमान एवं दर

सामग्री का विवरण	वितरण दर	अन्त्योदय परिवार	प्राथमिकता परिवार
		वितरणमान	वितरणमान
गेहू	01 रूपये प्रतिकिलों	30 किलो प्रतिकार्ड प्रतिमाह	04 किलो प्रति सदस्य प्रतिमाह
चावल	01 रूपये प्रतिकिलों	05 किलो प्रतिकार्ड प्रतिमाह	01 किलो प्रति सदस्य प्रतिमाह
शक्कर	13.50 रूपये प्रतिकिलों	01 किलो प्रतिकार्ड प्रतिमाह	01 किलों प्रतिकार्ड प्रतिमाह
नमक	01 रूपये प्रतिकिलों	01 किलो प्रतिकार्ड प्रतिमाह	01 किलों प्रतिकार्ड प्रतिमाह
केरोसीन	15.58 से 16.69 रूपये प्रति लीटर दूरी अनुसार	05 लीटर प्रतिकार्ड प्रतिमाह	04 लीटर प्रतिकार्ड प्रतिमाह